तारीख हुक्म	इजराय प्रकरण संख्या 69/2018 राजेश पहाड़िया बनाम गंगाधर 1	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
29.11.2025	डिक्रीदार अधिवक्ता उपस्थित। दिनाँक 28.11.2025 को डिक्रीदार अधिवक्ता की ओर से तलबी पत्रावली का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इजराय की पालना शीघ्र करवाये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही दिनाँक 28.11.2025 को तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से प्रेषित जमाबंदी की प्रति के साथ राजस्व रिकॉर्ड के दुरूस्तीकरण संबंधी पत्र भी प्राप्त हुआ। चूंकि पत्रावली में आगामी पेशी 08.12.2025 पहले से नियत थी, इसलिए दिनाँक 28.11.2025 को CIS पर उक्त पत्रावली को रिवॉक कर पत्रावली आज सुनवाई हेतु पेशी में ली गयी। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **Periyammal (dead) Through Lrs and Others Vs Rajamani & Another Etc. {Civil Appeal Nos. 3640-3642 of 2025 दिनाँक 06.03.2025** के अनुसार इजराय प्रकरणों का निस्तारण 6 माह में किया जाना है। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमाँक 23/P.I./2025 दिनाँक 27.11.2025 के अनुसार, दिनाँक 16.10.25 को विचाराधीन सभी इजराय प्रकरणों का तीन माह में निस्तारण किये जाने का निर्देश है। अत: उक्त इजराय पत्रावली त्वरित कार्यवाही हेतु आज पेशी में ली गयी। प्रकरण में वादग्रस्त संपत्ति की जमाबंदी में दुरूस्तीकरण हो चुका है और वादग्रस्त भूमि गंगाधर के नाम दर्ज है। अत: अब आदेश 21 नियम 34 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत रजिस्ट्री कराने हेतु सेल अमीन को प्राधिकृत किया जाता है। डिक्रीदार की ओर से रजिस्ट्री खर्चा जमा कराये जाने पर सेल अमीन रजिस्ट्री करवाये। रजिस्ट्री की प्रति पत्रावली में रखने हेतु पेश की जाये। रजिस्ट्री होने के बाद भुगतान की गयी विक्रय राशि मदयून गंगाधर को लौटाये जाने बाबत तहरीरी जारी हो। पत्रावली वास्ते पेश होने रजिस्ट्री नकल/इजराय की पालना हेतु पूर्व नियत दिनाँक 08.12.2025 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर	